

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ (उ०प्र०)

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रशान्त मौर्य

J.O. Code : UP3377

Cnr No.: UPME120002702026

Bail No.: 126/2026

मुकदमा अपराध संख्या : 53/2026

धाराएँ : धारा 115(2), 125, 352, 351(2) BNS एवं धारा 3/25, 25(9) आयुध अधिनियम

थाना : बहसूमा, जनपद मेरठ

राज्य बनाम : अंकुर पुत्र ओमपाल व अन्य

प्रार्थना-पत्र : जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र सहेंद्र

आदेश दिनांक : 06.03.2026

अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र सहेंद्र, निवासी ग्राम समसपुर, थाना बहसूमा, जनपद मेरठ की ओर से उपर्युक्त अपराध में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गयीं।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 04.03.2026 की रात्रि में ग्राम समसपुर में अभियुक्तगण द्वारा नशे की अवस्था में गाली-गलौज करते हुए अवैध हथियार से हवाई फायर किया गया। घटना के संबंध में थाना बहसूमा पर मु० अ० सं० 53/2026 उपर्युक्त धाराओं में पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त अंकुर एवं सह-अभियुक्त मानवेन्द्र की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर एवं दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई के समय अभियोजन द्वारा घटना का वीडियो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त वीडियो के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र सहेंद्र अन्य सह-अभियुक्तों के साथ नशे की अवस्था में अवैध हथियार के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहा है तथा उसी दौरान उक्त हथियार से सह अभियुक्त अंकुर पुत्र ओमपाल द्वारा हवाई फायर किया जा रहा है।

यह तथ्य सत्य है कि उक्त फायरिंग से किसी व्यक्ति को तत्काल कोई शारीरिक चोट नहीं पहुँची, किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि अवैध आग्नेयास्त्र का इस प्रकार सार्वजनिक स्थल पर प्रयोग अत्यन्त जोखिमपूर्ण एवं जन-सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाला कृत्य है, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना अथवा जन-हानि हो सकती थी। वर्तमान समय में न्यायालयों के संज्ञान में यह तथ्य बार-बार आया है कि celebratory firing (उत्सव/जश्र में फायरिंग) की घटनाओं में अनेक निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु अथवा गंभीर चोटें हुई हैं।

अतः प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा अवैध हथियार का उपयोग कर सार्वजनिक शांति एवं जन-सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाला गया है। ऐसी परिस्थितियों में इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायहित में उचित नहीं प्रतीत होता।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र सहेंद्र द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

फलस्वरूप, अभियुक्त मानवेन्द्र पुत्र सहेंद्र का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को आदेश की एक प्रति निशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक : 06.03.2026

(प्रशान्त मौर्य)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

मवाना, मेरठ (उ०प्र०)

J.O. Code : UP3377